

राजस्थान सरकार  
परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ.1(105)परि/स्था/2020/9856

जयपुर, दिनांक:-30-06-2023

आदेश

राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979 के अंतर्गत वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 28.06.2023 को संपन्न हुई। समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित उप परिवहन आयुक्त सह प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को संयुक्त परिवहन आयुक्त सह प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पद (लेवल इन पे-मैट्रिक्स एल-19) पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम	जन्मतिथि	रिक्ति तिथि
1.	श्रीमती प्रवीणा चारण	26.09.1974	01.04.2023
2.	श्री प्रकाश सिंह राठौड	11.09.1970	01.10.2023

श्रीमती प्रवीणा चारण विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2022-23 द्वारा पुनरवलोकन एवं पुनरीक्षण के आधार पर चयनित होकर विभाग के आदेश दिनांक 28.11.2022 की पालना में पूर्व से ही संयुक्त परिवहन आयुक्त सह प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पद पर कार्यरत हैं। शेष अधिकारी को पदोन्नति का काल्पनिक लाभ उनके सम्मुख अंकित रिक्ति तिथि से तथा नकद लाभ वास्तविक रूप से कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

उक्त अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत रहेंगे एवं उक्त आदेश की पालना में अपनी उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। श्री प्रकाश सिंह राठौड दिनांक 01.10.2023 को या इसके पश्चात् उपस्थिति प्रस्तुत करें।




(कन्हैयालाल स्वामी)

आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा

क्रमांक: एफ.1(105)परि/स्था/2020/9857-69

जयपुर, दिनांक:-30-06-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. परिवहन राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन एवं सडक सुरक्षा, राज0, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.) एवं संयुक्त शासन सचिव, राज., जयपुर।
7. रजिस्ट्रार, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
8. निजी सहायक, उप परिवहन आयुक्त (प्रशा.), राज., जयपुर।
9. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
10. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
11. संबंधित अधिकारी.....।
12. सूचना सहायक  को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।



अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)  
एवं संयुक्त शासन सचिव